राजस्व मण्डल ग्वलियर लिन्क कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R 2388-III/14

उमाशकर मिश्र तनय स्व0 लाल प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम अमिरिती तह0 मनगवा जिला रीवा म0प्र0 ----- निगरानी कर्ता

बनाम

बच्चन उर्फ कमलेश्वर प्रसाद तनय तीरथ प्रसाद पेशा कृषि निवासी ग्राम अमिरिती तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ----- निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायायल श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 में पारित प्रकरण क0 21ए70 20--03--14 आदेश दिनांक 04--06--14 के विरूद्व निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 ई0

द्वारा आज दिनांक 20-06-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2376
आज 25-7-14 को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :--

1-- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2-- यह कि निगरानी सुदा भूखण्ड ख0क021 रकवा 0.473 हे0 ग्राम अमिरिती तह0 मनगवां के अधीन स्थित भू खण्ड निगराकार व अन्य सहखातेदारों सहित गैर निगराकार के सयुक्त खाते की भूमि है जिसमें गैर निगराकार द्वारा निगराकार के हक व स्वत्व कब्जे दखल में पक्की दीवाल का निर्माण कर रहा था जिसमें रोक बावत् आवेदन आवेदक द्वारा अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार महोदय, मनगवां के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर कार्यवाही करते हुये माननीय अधीनरथ न्यायालय द्वारा निगराकार को आवेदन पत्र दिनांक 29--05--14 को गैर निगराकार द्वारा अवैधानिक तरीके से किये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया था। व प्रकरण 19--06--14 को गैर निगराकार की तलवी हेतु नियत था ।

3-- यह कि उक्त 29--05--14 के स्थगन आदेश को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 2--05--14 को लिया जाकर निगराकार की अनुपस्थिती में दिया गया निर्माण कार्य में रोक का आदेश निरस्त कर दिया गया व आदेश पात्रिका मे आवेदक को नोटिस जारी होना लेख किया गया है जब कि कोई भी सूचना जारी अधीनरथ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई एक दिन के अन्तर में तलवी

(signature)

		पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-12-14	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पेशी दिनांक 27.6.14 को आवेदक अभिभाषक श्री आर. एस. सिंह उपस्थित थे, परन्तु उसके पश्चात तीन पेशियों पर आवेदक एवं उनके अभिभाषक प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। आज कई बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से किसी के उपस्थित न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	